भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 458
दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

देश में बेघर बेसहारा बच्चे

458. श्री संजय सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेघर बेसहारा बच्चों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने बेसहारा बच्चों के विकास, कल्याण, संरक्षण और शिक्षा से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए कोई योजना बनाई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) देश में बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम की धारा 2(14)(6) के अनुसार ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता नहीं हैं तथा उसकी देखरेख करने का कोई इच्छुक नहीं है अथवा जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ या अभ्यर्पित कर दिया है, देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के रूप में शामिल है। अधिनियम विपदाग्रस्त स्थितियों में रहने वाले बच्चों का व्यापक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के लिए उपायों सहित सेवा प्रदायगी संरचनाओं का एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत केंद्रीय प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण स्कीम) चला रहा है। इस स्कीम के तहत पुनर्वास के उपाय के रूप में बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के माध्यम से संस्थानिक देखरेख प्रदान की जाती है। सीसीआई की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ आयु के अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, काउंसलिंग आदि तक पहुंच शामिल है। गैर संस्थानिक देखरेख के तहत दत्तकग्रहण, धात्री देखरेख एवं प्रयोजकता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सीपीएस 18 साल की आयु के बाद देखरेख पश्चात सेवाओं का भी प्रावधान करती है ताकि संस्थानिक जीवन से स्वतंत्र जीवन में पारगमन के दौरान उनकी मदद की जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में घरविहीन बच्चों का डेटा नहीं रखता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सीपीएस योजना के तहत सीसीआई में रहने वाले बच्चों की संख्या के साथ सीपीएस के तहत समर्थित सीसीआई का विवरण **संलग्न** है।

****

अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 31.01.2021 तक सीपीएस योजना के तहत सीसीआई में रहने वाले बच्चों की संख्या के साथ सीपीएस के तहत समर्थित सीसीआई का विवरण.

		संस्थागत देखरेख [गृहों]		खुला आश्रय		विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों	
#	राज्य	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	72	2745	6	145	14	122
2	अरुणाचल प्रदेश	5	185	0	0	1	10
3	असम	42	1464	6	82	19	78
4	बिहार	26	1286	0	0	13	132
5	छत्तीसगढ़	66	1971	9	79	12	119
6	गोवा	20	557	2	225	2	16
7	गुजरात	59	1610	2	45	13	125
8	हरियाणा	31	1546	14	414	7	57
9	हिमाचल प्रदेश	32	1208	3	48	1	8
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	41	1466	5	125	12	92
12	कर्नाटक	87	3012	35	912	31	379
13	केरल	29	452	4	74	11	65
14	मध्य प्रदेश	65	2426	9	340	26	210
15	महाराष्ट्र	77	3361	7	175	18	180
16	मणिपुर	46	1392	16	355	9	98
17	मेघालय	44	868	4	150	4	5
18	मिजोरम	45	1178	0	0	7	26
19	नागालैंड	37	642	3	113	4	15
20	ओडिशा	94	6833	12	296	27	263
21	पंजाब	19	604	0	0	6	77
22	राजस्थान	95	4418	20	331	21	211
23	सिक्किम	16	496	4	64	4	20
24	तमिलनाडु	198	12864	11	275	20	200
25	त्रिपुरा	24	730	4	58	6	44
26	उत्तर प्रदेश	75	4092	20	487	25	386
27	उत्तराखंड	23	438	3	75	5	11
28	पश्चिम बंगाल	70	4010	37	925	25	322
29	तेलंगाना	40	1306	0	0	11	320
30	अंडमान व निकोबार	10	401	-	0	2	10
31	चंडीगढ़	6	277	0	0	2	20
32	दादरा व नगर हवेली	0	0	1	25	1	10
33	दमन व दीव	1	25	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1196	9	254	3	50
36	पुडुचेरी	25	906	1	15	2	35
	कुल	**1565**	**66788**	**247**	**6087**	**366**	**3716**